न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 60/2019 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00303

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
सतीदेवी पत्नी हंसाराम, जाति मेघवाल, निवासी रामनगर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।		1. देवाराम पुत्र तोलाराम 2. हंसाराम पुत्र तोलाराम 3. नैनुबाई पत्नी तलसाजी 4. खीमाराम पुत्र तलसाजी, समस्त जातिगण मेघवाल, निवासी सोनपुरा, तहसील सुमेरपुर 5. लच्छाराम पुत्र मोतीजी 6. गेनाराम पुत्र मोतीजी, जातिगण सरगरा, निवासीगण शिवगंज, तहसील सुमेरपुर 7. ग्राम पंचायत एरनपुरा, जरिये सरपंच, तहसील सुमेरपुर जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुमावत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 24.05.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत एरनपुरा द्वारा मिसल संख्या 33/1970–71 की पालना में जारी पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीयां के परिजनों का पुश्तैनी परिसर बनाप 20 फीट चौड़ाई व 79 फीट लम्बाई का स्थित है जिसके पड़ोस उत्तर में सकाराम का परिसर, दक्षिण में प्रार्थीयां का पक्का मकान व आगे रास्ता, पूर्व में अर्जुनराम ढोली का मकान एवं पश्चिम में आम रास्ता 20 फीट व दरवाजा स्थित है। जैर निगरानी पट्टा रहवासीय है और प्रार्थीयां उसमें करीब 40–45 वर्षों से मय परिवार निवास कर रही है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। उक्त आराजी का पट्टा प्रार्थीयां के नाम मिसल संख्या 256/2016–17 के तहत पट्टा संख्या 02 ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड द्वारा जारी सुदा है जिसके पूर्व में प्रार्थीयां का रहवासीय कच्चा झोंपड़ा बना हुआ था, जिसको तोडकर पक्का निर्माण करवाने हेतु निर्माण स्वीकृति भी इसी पंचायत द्वारा दिनांक 15.07.2017 को प्रार्थीयां के पक्ष में जारी की हुई है। जैर निगरानी पट्टा आवेदन शुल्क 120/– प्रार्थीयां से रसीद संख्या 20 द्वारा दिनांक 06.07.2015 को लिये गये व विक्रय विलेख पट्टा शुल्क 200/– प्रार्थीयां द्वारा दिनांक 05.12.2016 को रसीद संख्या 31 द्वारा अदा किये गये है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। उक्त आराजी के संबंध में अप्रार्थी देवाराम द्वारा सिविल न्यायालय में एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण भी पूर्व में प्रार्थीयां के पति व अन्य के विरूद्ध पेश कर रखा है जिसमें कमिश्नर की मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थीयां का कब्जा बतौर मालिक पाया

जिला कलेक्टर, पाली

गया। पूर्व में उक्त आराजी पर एक झोंपड़ा कई वर्षों से बना हुआ था जिसका पट्टा जारी होने पर झोंपड़े को गिराकर पक्का मकान निर्माण किया गया। उक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु श्रीमान के न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 109/2017 पेश की गई है व खाली भूखण्ड का पट्टा नियम 157 के तहत नहीं दिया जा सकता है तथा पट्टे में वर्णित नाप व पड़ोस का परिसर अप्रार्थी संख्या एक से चार ने अप्रार्थी संख्या पाँच व छः से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1987 को खरीद किया है। अप्रार्थी संख्या पाँच व छः के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी हो रखा है इस आधार पर अप्रार्थीगण ने स्वयं का खरीदसुदा, पट्टासुदा परिसर होना बताकर दोबारा पट्टा प्रार्थीयां के नाम होना बताते हुए निगरानी पेश की है। प्रार्थीयां द्वारा ग्राम पंचायत से सूचना के अधिकार के तहत जैर निगरानी पट्टे, मिसल, प्रस्ताव आदि के लिए आवेदन करने पर उक्त जैर निगरानी पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। अतः जैर निगरानी प्रस्ताव व पट्टा प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टे की फोटो प्रति प्रार्थीयां को उपलब्ध करवाई गई जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होकर एसडी लाल सिंह सरपंच लिखा है। अतः जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच से हस्ताक्षरित नहीं होने से काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय मिसल कायम नहीं की गई , आवेदन आमंत्रित नहीं किये गए, नक्शा नहीं बनाया गया, तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त नहीं किया गया , न ही अस्थाई निर्णय लिया गया , आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई, कोई प्रस्ताव व संकल्प नहीं लिया गया। अतः पंचायती नियमों की पालना किये बिना जैर निगरानी पट्टा जारी किया जाने से निरस्तनीय है। प्रार्थीयां को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी 2017 में हुई जब देवाराम वगैरह ने प्रार्थीयां व उसके पति के विरूद्ध फौजदारी व दीवानी मुकदमा किया व प्रार्थीयां के पट्टे को खारिज कराने हेतु निगरानी संख्या 109/2017 पेश की। अतः प्रार्थीयां को दिनांक 16.09.2019 को सूचना के अधिकार के तहत जैर निगरानी पट्टे से संबंधित सूचना दी गई कि जैर निगरानी पट्टा मिसल, प्रस्ताव ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा फर्जी व कूटरचित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 की भूमि में से 1/3 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलय दिनांक 03.07.1981 को सती देवी के पति हंसाराम पुत्र पदमा द्वारा खरीदसुदा भूखण्ड के उत्तर दिशा में जैर निगरानी पट्टे की शेष भूमि दर्ज है। प्रार्थीयां व उसके पति द्वारा जैर निगरानी आराजी का 1/3 हिस्सा खरीद किया था। अतः जैर निगरानी पट्टे की जानकारी प्रार्थीयां और उसके पति को दिनांक 20.07.1981 से थी बावजूद इसके जैर निगरानी पट्टे की जानकारी 2017 में होना बताते हुए करीबन 41 वर्षों बाद पेश की है, जो म्याद बाहर होने से काबिले खारिज है। अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर गहन मनन किया कि प्रार्थीयां की निगरानी प्रस्तुत करने का मुख्य आधार यह है कि जैर निगरानी पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से तथा जैर निगरानी पट्टे में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियों के कारण उक्त पट्टा प्रारम्भ से ही शून्य होने से काबिल–ए–खारिज है तथा प्रार्थीयां के पक्ष में जैर निगरानी भू–खण्ड के संबंध में जारी किया गया पट्टा संख्या 02 दिनांक 09.12.2016 विधिवत जारी होकर पूर्णतः वैद्य है। उपर्युक्त बिन्दु के संबंध में पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट होती है कि पत्रावली में प्रस्तुत पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 की फोटो प्रति अपठनीय है तथा न ही प्रमाणित है

जिला कलेक्टर, पाली

साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा भी उक्त पट्टे के संबंध में रेकर्ड उपलब्ध न होने की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। जैर निगरानी भू–खण्ड के संबंध में अप्रार्थी संख्या 01 देवाराम द्वारा एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद तथ्य प्रमाणित नहीं मानकर एफ.आर. लगा दी, साथ ही न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर में जैर निगरानी भू–खण्ड के संबंध में मौका कमिश्नर नियुक्त किया था जिसमें भी प्रार्थीयां सतीदेवी का कब्जा माना गया है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि भी प्रार्थीयां के पति हंसाराम द्वारा वर्ष 1981 में पट्टा संख्या 43 के पट्टाधारी लच्छाराम, गेनाराम पुत्र मोती जाति सरगरा से जरिये रजिस्टर्ड बेचान से ही खरीदा गया था। ऐसी स्थिति में पट्टा संख्या 43 के अस्तित्व को सिरे से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है साथ ही अप्रार्थी देवाराम द्वारा प्रार्थी को जारी पट्टा संख्या 02 के संबंध में पंचायत स्तर पर प्रक्रियात्मक कमियों का उल्लेख भी अपनी बहस में किया है। हस्तगत निगरानी में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए जैर निगरानी पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 एवं प्रार्थीयां के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 09.12.2016 की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में पंचायत राज. नियम 1996 के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीयां का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आंशिक स्वीकार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे दो माह में दोनों पट्टों (पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 व पट्टा संख्या 02 दिनांक 09.12.2016) के संबंध में रेकर्ड/दस्तावेज व अन्य साक्ष्यों की विस्तृत जाँच करे कि क्या जैर निगरानीं पट्टा संख्या 43 दिनांक 24.12.1971 को पूर्व में पंचायत स्तर से विधिवत जारी था अथवा नहीं, तथा क्या पट्टा संख्या 02 जारी करते वक्त नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जाता है या नहीं। यदि पंचायत की कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे जैर निगरानी पट्टा जारी करने की प्रकिया दूषित हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली